राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग

क्रमांक प. 6(10)प्र.सु./अनु.3/2011 दिनांकः 23-7-2015

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद / फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहें है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबंध में मानीनय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकास्पद/फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:–

- जिला स्तरीय

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर (राजस्व)	समन्वयक
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा), जिला परीषद	सदस्य
4. संबधित उप जिला मजिस्ट्रेट / उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5. जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं शक्तियां

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जावेगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संधारण किया जायेगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होगें।
2. समिति में झूठे, फर्जी एवं शंकास्पद जाति प्रमाण–पत्रो के मामलें दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रमाण–पत्रो की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रमाण–पत्र की वैधता/ अवैधता के संबध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगीं। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संबधित पक्षों को दी जावेंगी। नाबालिग की स्थिति मे उसके माता–पिता / सरंक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नही किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

3. जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के समय संबधित पक्षों यथा शिकायतकर्ता एवं जिसका जाति प्रमाण–पत्र है उसको अपना पक्ष रखनें हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेगें।
4. जाति प्रमाण पत्र के संबध में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिसके विरूद्व शिकायत की गयी है जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर वह राज्य स्तर छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक सें 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(10) प्र0सु0वि0/अनु–3/2011 जयपुर दिनांक 18.03.11 द्वारा किया गया है।
5. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवायी करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (unfit) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मामलें में नियोक्ता/ शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।

(रमेश चन्द्र भारद्वाज)
शासन उप सचिव

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः–

1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर
3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर
4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर
5) निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
6) समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
9) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर
10) सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
11) सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12) समस्त संभागीय आयुक्त,.....
13) समस्त जिला कलक्टर.....
14) समस्त जिला पुलिस अधिक्षक.....
15) सचिव समस्त आयोग/ बोर्ड.....
16) उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....

शासन उप सचिव